भारत सरकार

शिक्षा मंत्रालय

उच्चतर शिक्षा विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-334

उत्तर देने की तारीख-03/12/2025

यूजीसी-एनईटी परीक्षा को रद्द किया जाना और प्रश्नपत्र का लीक होना

334 **श्री साकेत गोखलेः**

क्या ***शिक्षा*** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या मंत्रालय राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (एनटीए) द्वारा आयोजित सभी पेन और पेपर परीक्षाओं के लिए प्रश्न पत्र बनाने, मुद्रण, परिवहन और भंडारण में लिखित चेन-ऑफ-कस्टडी नयाचार का पालन करता है, यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या जून 2024 के यूजीसी-एनईटी परीक्षा में कोई व्यतिक्रम दर्ज किया गया और यदि हाँ, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) उन साक्ष्यों का ब्यौरा क्या है जिनके आधार पर मंत्रालय ने यह दावा किया कि प्रश्नपत्र डार्कनेट पर लीक हुआ; और
(घ) इस मामले पर उच्च-स्तरीय समिति की रिपोर्ट कब तक सार्वजनिक की जाएगी और क्या मंत्रालय इस घटना पर फोरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट प्रकाशित करने का विचार रखता है?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री
(डॉ. सुकान्त मजूमदार)

(क) से (घ): राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) को उच्चतर शिक्षा संस्थाओं में प्रवेश/अध्येतावृत्ति के लिए परीक्षाओं का आयोजन करने हेतु शिक्षा मंत्रालय द्वारा एक विशेष निकाय के रूप में स्थापित किया गया है। वर्ष 2018 में अपनी स्थापना के बाद से, एनटीए ने 5.5 करोड़ से अधिक उम्मीदवारों को शामिल करते हुए 250 से अधिक परीक्षाएं सफलतापूर्वक आयोजित की है।

एनटीए वर्ष 2018 से विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में सहायक प्रोफेसर और/या जूनियर रिसर्च फेलोशिप (जेआरएफ) के लिए उम्मीदवारों की पात्रता निर्धारित करने हेतु यूजीसी-नेट परीक्षा आयोजित कर रहा है। परीक्षाएं एनटीए द्वारा निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुसार आयोजित की जाती हैं ताकि परीक्षा सामग्री की गोपनीयता और परीक्षा प्रक्रिया की अखंडता बनाई रखी जा सके।

एनटीए द्वारा दिनांक 18.6.24 को पेन और पेपर मोड में आयोजित यूजीसी-नेट जून 2024 परीक्षा को कुछ इनपुट मिलने के बाद रद्द कर दिया गया, जिसमें यह आरोप लगाया गया कि परीक्षा की अखंडता से समझौता किया गया है। यह मामला सीबीआई को सौंपा गया और परीक्षा दिनांक 21 अगस्त से 5 सितंबर, 2024 के बीच कंप्यूटर आधारित परीक्षा (सीबीटी) मोड में नए सिरे से आयोजित की गई। परीक्षा का परिणाम दिनांक 17 अक्टूबर 2024 को घोषित किया गया था।

एनटीए द्वारा परीक्षाओं के पारदर्शी, सुचारू और निष्पक्ष संचालन हेतु प्रभावी उपाय सुझाने के लिए, शिक्षा मंत्रालय ने दिनांक 22.06.2024 को डॉ. के. राधाकृष्णन, पूर्व अध्यक्ष इसरो की अध्यक्षता में विशेषज्ञों की एक उच्च-स्तरीय समिति (एचएलसीई) का गठन किया। समिति ने दिनांक 21.10.2024 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। रिपोर्ट का संक्षिप्त संस्करण निम्न लिंक पर उपलब्ध है:
https://www.education.gov.in/sites/upload_files/mhrd/files/HLCE_Report.pdf
